Regd. No. CHD/0093/2006–2008

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2008
(6 अग्रहायण, 1930 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग-II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग-III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का० आ० 115/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2008, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2008।	1285—1288
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 40/संवि०/अनु० 309/2008, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 हरियाणा सरकार, सामान्य विभाग (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523—3जी०एस० 79/2068/दिनांक 28 जनवरी, 1970 मे संशोधन करने बारे।	1289—1290
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 41/संवि०/अनु० 309/2008, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी चयन समिति गठन करने बारे।	1291—1294
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग-IV	**शुद्धि पर्ची, पुन: प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 नवम्बर, 2008

संख्या का०आ० 115/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2008.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 7/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2008, दिनांक 11 नवम्बर, 2008, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 69 में उप नियम (6) के बाद, अन्त में निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा तथा 6 जून, 2005 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) (i) पिछड़े क्षेत्रो में पनपने वाली मेगा इकाइयां ब्याज मुक्त ऋण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में ऐसे माल के विक्रय पर भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर के 50 प्रतिशत के सम्परिवर्तन का लाभ प्राप्त करने का हकदार होंगी;

(ii) ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए उसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में पनपने वाली लघु उद्योग इकाइयां;

(iii) ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में मूल्य वर्धित कर के 75 प्रतिशत सम्परिवर्तन के उसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य में किसी भी जगह पनपने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां;

(iv) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की डाऊन स्ट्रीम इन्डस्ट्रीज पैट्रो कैमिकल हॅब के भाग रूप में स्थापित किए जाने वाले इन्डस्ट्रियल पार्क में स्थापित की जाएगी, ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में उत्पादित माल के

विक्रय पर भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर के 50% के सम्परिवर्तन के लाभ को प्राप्त करने का हकदार होगी।

व्याख्या:— ब्याज मुक्त ऋण की मात्रा प्लांट तथा मशीनरी के सिवाय, राज्य के भीतर उपभोग के लिए विनिर्मित माल के केवल अन्तर्राज्यिक विक्रय के संबंध में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन आबकारी तथा कराधान विभाग में दायर की गई विवरणियों सहित वास्तव में भुगतान किए गए कर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। राज्य के भीतर अन्य माल के विनिर्माण करने में कच्ची सामग्री के रूप में ऐसे माल का प्रयोग राज्य के भीतर उपभोग के रूप में नहीं माना जाएगा।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th November, 2008

No. S.O. 115/H.A. 6/2003/S. 60/2008.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. web7/H.A. 6/2003/S. 60/2008, dated the 11th November, 2008, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2008.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 69, after sub-rule (6), the following para shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 6th June, 2005, namely :—

"(6a) (i) Mega units coming up in backward areas shall be entitled to get benefit of conversion of 50% of Value Added Tax paid on the sale of such goods into interest free loan for a period of 7 years from the date of commercial production repayable after a period of 5 years from the date of grant of interest free loan.

(ii) Small Scale Industrial units coming up in backward areas shall get similar benefit for a period of 5 years from the date of commercial production repayable after a period of 5 years from the date of grant of interest free loan.

(iii) Food processing units coming up anywhere in the State shall get similar benefit of conversion of 75% of Value Added Tax paid into interest free loan for a period of 5 years from the date of commercial production repayable after a period of 5 years from the date of grant of interest free loan.

(iv) Down stream industries of Indian Oil Corporation Limited to be set up in the industrial park to be established as a part of petro chemical hub shall be entitled to get benefit of conversion of 50% of Value Added Tax paid on the sale of goods produced into interest free loan for a period of 7 years from the date of commercial production repayable

after a period of 7 years from the date of grant of interest free loan.

Explanation.– The quantum of interest free loan shall be determined on the basis of tax actually paid along with the returns filed in the Department of Excise and Taxation under the Haryana Value Added Tax Act, 2003(6 of 2003), only in respect of intra-State sales of manufactured goods for consumption within the State, except plant and machinery. The use of such goods as raw material in manufacturing of other goods within the State shall not be considered as consumption within the State.".

RAMENDRA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Departrment.